कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1491 /14–1 दिनांक:अलीगढ़:नवम्बर 01, 2017

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़।

विषय:– **अलीगढ़ में दिल्ली–अलीगढ़ मार्ग (एन0एच0–91) किमी0 126 चैनेज 125.910 की दायीं पटरी पर ग्राम–सिकन्दरपुर भुकरावली के खसरा संख्या–28 में बी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.055668 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।**

संदर्भ:– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या 1185/अलीगढ़/27643/2017 दिनांक 26.10.2017

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयक प्रस्ताव में निम्नलिखित आपत्तियों लगायी गयी है।

1. ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–3 की सूचना अंकित नहीं है।
2. प्रस्तावित वन भूमि की गणना में निकासी मार्ग एवं कर्व भाग की गणना का योग 210.58 के स्थान पर 210.52 अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है।
3. प्रस्तावित वन भूमि की गणना में प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग की गणना में निकासी भाग का क्षेत्रफल 210.58 वर्ग मी0 के स्थान पर 210.585 वर्ग मी0 अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।
4. गैर वन भूमि की गणना में क्षेत्रफल 625 वर्ग मी0 के स्थान पर 325 वर्ग मी0 अंकित किया गया है।

अतः आप किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियां मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय से प्राप्त कराकर उक्त आपत्तियों का निराकरण कर समस्त सूचनाओं व अभिलेखों को ऑनलाइन व ऑफलाइन पूर्ण कर त्रुटिरहित पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 1491 /14–1 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रतिलिपि– प्रादेशिक प्रबन्धक, बी0पी0सी0एल0, प्लाट सी–1, रोड नं0–26 इण्डस्ट्रियल एरिया, मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।